प्रेस विज्ञप्ति
23.07.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल आंचलिक कार्यालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 की धारा 37ए(1) के प्रावधानों के अंतर्गत मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित लगभग 3.67 करोड़ रुपये मूल्य की एक अचल संपत्ति जब्त की है। यह कार्रवाई प्रियंक मेहता द्वारा फेमा, 1999 के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण की गई है।

यह कार्रवाई आयकर विभाग से प्राप्त विशिष्ट सूचना तथा ईडी द्वारा की गई जांच के आधार पर की गई। जांच में यह उजागर हुआ कि प्रियंक मेहता ने संयुक्त राज्य अमेरिका के ईबी-5 वीज़ा कार्यक्रम में निवेश करने के उद्देश्य से उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत 5,48,000 अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा प्रेषित की थी, किंतु उसने प्रेषित विदेशी मुद्रा में से 5,02,954 अमेरिकी डॉलर का उपयोग घोषित उद्देश्य के लिए नहीं किया।

जांच में यह भी पाया गया कि वापस प्राप्त विदेशी मुद्रा को भारत वापस भेजने के स्थान पर प्रियंक मेहता ने उक्त राशि को सीधे संयुक्त राज्य अमेरिका से पुर्तगाल स्थानांतरित कर दिया। इसके पश्चात उक्त धनराशि को भारत से भेजी गई अतिरिक्त विदेशी मुद्रा के साथ मिलाकर पुर्तगाल में एक अचल संपत्ति के अधिग्रहण में उपयोग किया गया, जबकि शेष राशि पुर्तगाल स्थित एक विदेशी बैंक खाते में ही रखी गई। भारत के बाहर उक्त विदेशी मुद्रा तथा परिसंपत्तियों का अधिग्रहण, धारण एवं उपयोग विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 4 सहपठित धारा 10(6) के प्रावधानों का उल्लंघन है।

तदनुसार, फेमा, 1999 की धारा 37ए(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ईडी ने प्रियंक मेहता के स्वामित्व वाली मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित लगभग 3.67 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्ति जब्त की है, जो भारत के बाहर फेमा के प्रावधानों के उल्लंघन में धारित 5,02,954 अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा के समतुल्य मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।